UPBJ240013882018

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नजीबाबाद, बिजनौर।
फौजदारी वाद संख्या–1146/2018
सरकार बनाम वसीम आदि।
मु0 अ 0 सं0–10/2018
धारा–3/5 ए/8 सी.एस.एक्ट
थानाः नांगल, जिला बिजनौर।

14.03.2023

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त वसीम पुत्र अ०रशीद निवासी ग्राम सैदपुरी, थाना नांगल जिला बिजनौर की ओर से मु0 अ 0 सं0–10/2018, अन्तर्गत धारा–3/5 ए/8 सी.एस.एक्ट, थाना नांगल, जिला बिजनौर मे जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है और भविष्य में जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जायें।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तलब करने की याचना की गई है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है , तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त वसीम पुत्र अ०रशीद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बिजनौर के प्रशासनिक आदेश संख्या–02 दिनांकित–02.01.2023 के अनुपालन में इस आदेश की प्रति कार्यालय माननीय जनपद न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(इन्दु रानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।